न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 251 सन 2021

अनवान :–

1. आत्माराम पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अनिल कुमार सिंवर पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. मांगेराम पुत्र रतिराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
3. राजेराम पुत्र रतिराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
4. दलीप सिह पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
5. रामप्यारी पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
6. सावित्री देवी पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
7. कमला देवी पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
8. कृष्णा देवी पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
9. मंजू पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
10. मोहिनी पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
11. जैता देवी पत्नि धर्मपाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
12. रूकमा पत्नी रतिराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
13. गिरदावरी पुत्री रतिराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
14. रोशनी पुत्री रतिराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
15. लक्ष्मी पुत्री रतिराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
16. सरला पुत्री रतिराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
17. राजबाला पुत्री रतिराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12/7/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 114/80 के खसरा न 163/8.0670हैक्ट व रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 90/93 की कुल 7.4230हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 एवं मृतक धर्मपाल , रतिराम , भादरराम, दलीपसिह के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हनुमान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 एवं धर्मपाल , रतिराम , भादरराम, दलीपसिह के नाम सें दर्ज हुई है जिसमें से धर्मपाल रतिराम का देहान्त हो चुका है एवं भादरराम लावल्द फोत हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ही है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 17 वादी की बहने/माता /पत्नि है प्रतिवादी संख्या 5 ता 17 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के नाम से दर्ज के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा भूमि है जिसे बाहमी बटवारा/हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज हनुमान के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 एव हनुमान के पुत्रों के नाम से दर्ज है जिनमें से एक धर्मपाल , भादरराम (लावल्द), रतिराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है एवं एक खाते में दर्ज भी है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 17 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 18 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 114/80 के खसरा न 163/8.0670हैक व रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 90/93 की कुल 7.4230हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 एवं मृतक धर्मपाल , रतिराम , भादरराम, दलीपसिह के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हनुमान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 एवं धर्मपाल , रतिराम , भादरराम, दलीपसिह के नाम सें दर्ज हुई है जिसमें से धर्मपाल रतिराम का देहान्त हो चुका है एवं भादरराम लावल्द फोत हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ही है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 17 वादी की बहने/माता /पत्नि है प्रतिवादी संख्या 5 ता 17 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के

उपखण्ड अधिकारी

आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 114/80 के खसरा न 163/8.0670हैक्‍ व रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 90/93 की कुल 7.4230हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 एवं मृतक धर्मपाल , रतिराम , भादरराम, दलीपसिह के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 एवं धर्मपाल , दलीपसिह , भादरराम , रतिराम के नाम से दर्ज है में से धर्मपाल रतिराम को देहान्त हो गया है एवं भादरराम लावल्द फोत हो चुके है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है।

प्रस्तुत दस्तावेजात एवं वाद में अंकित सजरा खानदान एवं प्रस्तुत मृत्यू एवं वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के हक हिस्सा की होनी पाई जाती है अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 17 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 17 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 17 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के द्वारा बादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 114/80 के खसरा न 163/8.0670हैक्‍ व रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 90/93 की कुल 7.4230हैक्‍ भूमि दोनो खातो में प्रतिवादी संख्या 5 ता 17 , मृतक रतिराम , धर्मपाल , भादरराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब , व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब एवं 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जाती है अर्थात खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 1/2/7/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. आत्माराम पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 अनिल कुमार सिंवर पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. मांगेराम पुत्र रतिराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
3. राजेराम पुत्र रतिराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
4. दलीप सिह पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
5. रामप्यारी पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
6. सावित्री देवी पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
7. कमला देवी पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
8. कृष्णा देवी पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
9. मंजू पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
10. मोहिनी पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
11. जैता देवी पत्नि धर्मपाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
12. रूकमा पत्नी रतिराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
13. गिरदावरी पुत्री रतिराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
14. रोशनी पुत्री रतिराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
15. लक्ष्मी पुत्री रतिराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
16. सरला पुत्री रतिराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
17. राजबाला पुत्री रतिराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 251 सन 2021 निर्णय दिनांक– 12/7/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 114/80 के खसरा न 163/8.0670हैक व रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 90/93 की कुल 7.4230हैक भूमि दोनो खातो में प्रतिवादी संख्या 5 ता 17, मृतक रतिराम, धर्मपाल, भादरराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब, व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब एवं 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जाती है अर्थात खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/7/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर